न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी –डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

जीसीएमएस पॉर्टल नम्बरः– 2023 / 122

प्रकरण संख्या–90 / 2023

उनवानः–

1. श्रीमती बर्फी पुत्री महाराज सिंह आयु करीब 75 साल जाति कुशवाह निवासी ग्राम रामनगर गुर्जा तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी ग्राम नया पुरा तह0 बसेडी धौलपुर।
2. धर्मसिंह पुत्र रामबाबू
3. शिवशंकर पुत्र रामबाबू
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र रामबाबू
5. राधेश्याम पुत्र रामबाबू
6. शिमलिया पत्नी रामबाबू
   जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम रामनगर गुर्जा तहसील व जिला धौलपुर
7. गुड्डी पुत्री रामबाबू पत्नि कैलाशी जाति कुशवाह निवासी ग्राम रामनगर गुर्जा तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी सैंपऊ रोड बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर
8. श्रीमती मिथलेश पुत्री रामबाबू पत्नी उत्तमसिंह जाति कुशवाह निवासी ग्राम रामनगर गुर्जा तहसील व जिला धौलपुर हाल निवासी तसीमों तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर
9. रामशंकर पुत्र महाराज सिंह आयु करीब 60 साल जाति कुशवाह निवासी ग्राम रामनगर गुर्जा तहसील व जिला धौलपुर

....................वादीगण

बनाम

1. बालकिशन पुत्र धनीराम
2. महेन्द्रसिंह पुत्र धनीराम
3. रामरूप पुत्र महाराज सिंह
4. शेर सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद
   जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम रामनगर गुर्जा तहसील व जिला धौलपुर।

.... मूल प्रतिवादीगण

5. बैंक प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धौलपुर राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

.... प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

दावा वास्ते बटवारा काश्त एंव स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक 12.8.25

<u>निर्णय</u>

वादीगण ने विरूद्ध प्रतिवादीगण 16.10.2023 को एक राजस्व वाद बाबत् बटवारा काश्त व स्थाई निषाधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो बाद तहकीकात दिनांक 05.05.2025 को प्रारंभिक डिकी किया गया तथा तहसीलदार धौलपुर के पत्रांक 07.07.2025 विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये है। तहसीलदार धौलपुर के द्वारा प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादीगण की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी अंतिम रूप से डिकी किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील वादीगण की बहस का मनन किया तथा तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिकी किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी बांके ग्राम रामनगर पटवार हल्का कोटरा तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा (है0)
1	गुड़डी, मिथलेश पुत्री व धर्मसिंह, शिवशंकर, राजेन्द्र, राधेश्याम पुत्रगण व शिमलिया पत्नी रामबाबू हि. 3/4 जाति काछी (कुशवाह) सा. देह खातेदार, बर्फी पुत्री महाराज सिंह हि0 1/4 जाति काछी (कुशवाह) सा. देह खातेदार	228/1 246/3 249/3 224/4	0.1896 0.1307 0.1349 0.1012
2	रामशंकर पुत्र महाराज सिंह हि. 3/4 जाति काछी (कुशवाह) सा. देह खातेदार, बर्फी पुत्री महाराज सिंह हि. 1/4 जाति काछी (कुशवाह) सा. देह खातेदार	228/3 246/1 249/1 224/2	0.1897 0.1307 0.1348 0.1011

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

3	रामरूप पुत्र महाराजसिंह हि. 3/4 , जाति काछी (कुशवाह) सा. देह खातेदार, बर्फी पुत्री महाराज सिंह हि. 1/4 जाति काछी (कुशवाह) सा. देह खातेदार	228/2 246/2 249/2 224/3	0.1897 0.1306 0.1349 0.1012
4	बलकिशन पुत्र धनीराम हि. 1/3 जाति काछी (कुशवाह) सा. गुर्जा खातेदार राहिन हि. 1/3 बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक धौलपुर, महेन्द्र सिंह पुत्र धनीराम हि. 1/3 जाति काछी (कुशवाह) सा. गुर्जा खातेदार, शेर सिंह पुत्र जगदीश प्रसाद हि. 1/3 जाति काछी (कुशवाह) सा. गुर्जा खातेदार	224/1	0.3035

रहन के इन्द्राज बदस्तुर कायम रहेगे। आराजीयात के लगान के 20 गुणा पर देय मुद्रांक शुल्क के स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.8.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)